



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274370
CG-DL-E-11072026-274370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3595]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3595]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3757(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में NH227A के कि.मी. 150.000 से कि.मी.190.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), देवरिया को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरों सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में NH227A के कि.मी. 150.000 से कि.मी.190.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: देवरिया		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बरहज					
गांव का नाम: कपरवार बांगर					
1	1003	निजी	कृषि	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
2	844	निजी	कृषि	0.0122 (हेक्टेयर)	0.0122
गांव का नाम: रायपुराचकलाल अ0न0पा0					
3	10/1	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
4	11 Kha, Mi	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
5	11/1Kha	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
6	12/1 Kha	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
7	12/1 Kha, Mi	निजी	कृषि ()	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
8	14Mi	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
9	14Mi	निजी	कृषि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
10	15	सामान्य	कृषि/अकृषिक	0.0032 (हेक्टेयर)	0.0032
11	15Mi	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
12	16	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
13	16/1	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
14	16Kha	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
15	17Mi	निजी	कृषि	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
16	20Va	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
17	22Mi	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03

18	23Mi	निजी	कृषि	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
19	6/1	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
20	7	सामान्य	कृषि/अकृषिक	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
21	8	सामान्य	कृषि/अकृषिक	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
22	85/1	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
23	86/1	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
24	9/1	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
25	90	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
26	92	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
27	93	निजी	कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
तालुक का नाम: सलेमपुर					
गांव का नाम: भीखम छपरा					
28	129	निजी	कृषि	0.0167 (हेक्टेयर)	0.0167
गांव का नाम: सुतावर तप्पा बलिया					
29	507	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
30	512	निजी	कृषि	0.0022 (हेक्टेयर)	0.0022
गांव का नाम: कुन्डौली तप्पा बलिया					
31	804	निजी	कृषि	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
गांव का नाम: पटना तप्पा बलिया					
32	611	निजी	कृषि	0.0143 (हेक्टेयर)	0.0143
Total					0.5168

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3757(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH227A in the stretch of land from Km. 150.000 to Km.190.000 in the district of DEORIA in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (F./R.), Deoria in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 150.00 to Km. 190.000 on NH-227A in the district of DEORIA in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: DEORIA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barhaj					
Village: KAPARWAR BANGAR					
1	1003	Private	Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
2	844	Private	Agriculture	0.0122 (Hectare)	0.0122
Village: RAIPURA CHAKLAL ANDAR NAGAR					
3	10/1	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
4	11 Kha, Mi	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
5	11/1Kha	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
6	12/1 Kha	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
7	12/1 Kha, Mi	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
8	14Mi	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
9	14Mi	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
10	15	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0032 (Hectare)	0.0032
11	15Mi	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
12	16	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
13	16/1	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
14	16Kha	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
15	17Mi	Private	Agriculture	0.021 (Hectare)	0.021
16	20Va	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
17	22Mi	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
18	23Mi	Private	Agriculture	0.013 (Hectare)	0.013
19	6/1	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
20	7	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0056 (Hectare)	0.0056
21	8	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0056 (Hectare)	0.0056
22	85/1	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
23	86/1	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
24	9/1	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
25	90	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01

26	92	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
27	93	Private	Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
Taluk: Salempur					
Village: BHIKKAM CHHAPRA					
28	129	Private	Agriculture	0.0167 (Hectare)	0.0167
Village: Sutawar					
29	507	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
30	512	Private	Agriculture	0.0022 (Hectare)	0.0022
Village: KUNDAULI					
31	804	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
Village: PATANA					
32	611	Private	Agriculture	0.0143 (Hectare)	0.0143
Total					0.5168

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director